न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/114/2019

उनवान

1. गंगाराम पुत्र नन्दा बलाई निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. गंगाराम पत्र रघुनाथ बलाई निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. बालु पिता लक्ष्मण बलाई निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मगनी पुत्री घीसा गुर्जर निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. नारायण पुत्र घीसा गुर्जर निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. चान्दी पुत्री घीसा गुर्जर निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. महादेव पुत्र घीसा गुर्जर निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
5. बालु पुत्र कजोड गुर्जर निवासी उदलपुरा पंचायत गांगलास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा
7. ग्राम पंचायत गांगलास, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत गागलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण
संख्या 73/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राजेश मेहता ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2,4,5
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.1.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 7 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांगलास मजरा उदलपुरा की गत सेटलमेण्ट की आराजी नम्बर 461/1 रकबा 1 बीघा राजस्व रेकार्ड में राजकीय कृषि अयोग्य भूमि किस्म आबादी दर्ज होकर ग्राम पंचायत गांगलास द्वारा वादीगण को नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 20.6.82 को पट्टा जारी कर कब्जा सिपुर्द किया, तभी से वादीगण ने उक्त पट्टासुदा भूमि पर सुरक्षा हेतु चारों तरफ दिवार बना व थोर की बाड लगा रखी है तथा सरकारी सहायता से इन्द्रा आवास भी बना रखा है तथा पूरे ग्राम की पथवारी भी बनी हुई है। हाल सेटलमेण्ट में उक्त आराजी के नये नम्बर 1935 रकबा 0.29 है0 दर्ज किये गये।

2. गत सेटलमेण्ट में वादग्रस्त आराजी किस्म आबादी दर्ज होकर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करा वादीगण को बापी पट्टा जारी किये गये तभी वादीगण

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पट्टेसुदा भूमि पर काबिज होकर निवास कर रहे हैं। परन्तु हाल सेटलमेण्ट में साबिक सेटलमेण्ट की प्रविष्ठि को रिपिट नहीं करते हुए वादीगण की पट्टेसुदा जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर गलत एवं अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी है। जिसे वादीगण किस्म बिलानाम सरकार आबादी दर्ज कराये जाने के अधिकारी हैं। हाल राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी नम्बर 1935 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने से वादीगण को उनके निवास स्थान से बेदखल करने व वादीगण के बने हुए मकानो को तोड–फोड कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे की ग्राम उदलपुरा/गांगलास कीक आराजी नम्बर 1395 बिलानाम कृषि अयोग्य आबादी भूमि है जिसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम कृषि अयोग्य किस्म आबादी दर्ज कराई जावे साथ ही वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादीगण को न तो स्वयं बेदखल करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण के विचारण के दौरान अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने बताया कि

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सरकार की ओर से जवाब दावाा प्रस्तुत होने एवं कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पत्रावली नियत है। इस कारण अपीलाण्ट्स को हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब भी उनकी आवश्यकता होगी उन्हें सूचना देकर बुला लेंगे लेकिन काफी समय तक कोई सूचना नहीं मिलने पर अभी हाल ही में दिउनांक 20.5.2019 को अपीलाण्ट्स अपने अधिवक्ता से मिलने आसीन्द गये एवं प्रकरण की जानकारी चाही तो अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने न्यायालय में जानकारी कर बताया कि प्रकरण को राजस्व कैम्प के दौरान ही खारिज कर दिया गया है। तब नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपीलाण्ट्स से जानबूझकर कोई देरी कारित नहीं की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2018 (25) पेज 43 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवंत थ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान अपीलाण्ट्स द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 घीसा की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिसका जवाब रेस्पोडेण्ट्स की ओर से दिनांक 24.7.2013 को प्रस्तुत किया गया तो उसकी मृत्यु 05 वर्ष पूर्व होने का तथ्य पूरी तरह से गलत है तथा प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त घीसा की ओर से उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहे थे। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व कैम्प में पारित किया है। जबकि प्रकरण को राजस्व कैम्प में नियत किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सूचित नहीं किया गया था। जबकि प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद है। अपीलार्थी ने जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं की है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2018 (25) पेज 43 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मत प्रतिपादित किया है कि धारा 5 मियाद अधिनियम– पर्याप्त

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादकारण का विश्लेषण उदारता से किया जाना चाहिये ताकि अपीलार्थी को मौलिक न्याय दिलाया जा सके। जबकि अपीलार्थी को किसी प्रकार की लापरवाही या निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जिसके अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र 19.3.2012 को वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसे दर्ज रजस्टर कर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया । आदेशिका दिनांक 19.11.2012 के अनुसार वकील वादी उपस्थित । वकील प्रतिवादी की ओर से प्रतिनिधित्व पत्र के माध्यम से अधिवक्ता ईश्वर लाल उपस्थित । जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रतिवादीगण को दिया गया । दिनांक 24.7.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 24.7.2013 में किया गया है। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने में लंबित चल रहा था। उसी दौरान दिनांक 3.9.2015 को वादी की आरे से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी प्रस्तुत किया जिसके साथ संशोधित शीर्षक भी प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी के जवाब हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.11.2015 नियत की गई। दिनांक 20.4.2017 को प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.8.2017 नियत की गई। उसके उपरान्त 3.8.2017 से पूर्व ही प्रकरण को 24.6.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प में नियत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा दिनांक 24.7.2013 को प्रस्तुत किया गया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकन किया है कि चूंकि वादी संख्या 01 की मृत्यु सचिव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट एवं तामील कुनिन्दा के अनुसार लगभग 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिससे वकील वादी द्वारा निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया । पक्षकारान के द्वारा न्यायालय/लोक अदात में भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। तथा पक्षकारान की मृत्यु की सूचना से भी न्यायालय को आज दिनांक तक अवगत नहीं कराया गया है ऐसी स्थिति में वाद पत्र चलने योग्य नहीं पाया जाता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.6.2017 को पारित किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व मानी गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा दिनांक 24.7.2013 को दिये जाने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व होना भी प्रमाणित नहीं होता है।

12. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । जबकि विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा लिया जाकर उसका निस्तारण करने के उपरान्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही करनी चाहिये थी। जबकि विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर प्रकरण को नियत तारीख पेशी दिनांक 3.8.2017 से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

13. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनिांक 24.6.2017

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी का जवाब लिया जाकर उसका निस्तारण करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.2.2020 को उपस्थित रहे।

14. निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.27 18:12:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: